



LITTLE FLOWER CONVENT SCHOOL

Mangwal, Patiala Road, Sangrur (Punjab) - 148001

CBSE Affiliation No. 1630637 - School Code - 20624

Ph.:01672251666, Mob.:8427503454

www.lfconventschoolsangrur.com, E-mail: lfcssangrur@gmail.com

07 March 2026

REGARDING SCHOOL TRANSPORT

Dear parents,

To comply with the SAFE SCHOOL VAHAN POLICY, Parents must opt either **SCHOOL TRANSPORT** or **SELF-TRANSPORT BY THE PARENTS** only. Children will not be allowed to travel by any other transport such as Autos, Rikshaws, minivans etc. for any reason. Students will not be allowed to enter the school premises if they come by these insecure modes of transport. (Strictly instructed by the Concerned Authorities).

From the academic session 2026-27, (1st April 2026) onwards, the school will not allow any kind of private transport to be operated to transport the students to and from school. Parents must opt for **one of the following options**;

1. Avail the school Transport (Required to fill in the following form- Annexure-1)
2. Parents/Assigned Guardians will pick and drop ward themselves. (Required to read and sign the undertaking- Annexure-2).
3. Walk / Cycle unaccompanied. (only for 1 K.m. radius of the school) (Required to read and sign the undertaking- Annexure-2).

With reference to the circular LFCS/2023-24/78 dated 19-03-2024, regarding submission of the necessary documents of the cabs or vehicles hired by parents to ensure the safety of students while transporting to and from the school, till today, the school has not received any of it. The matter was brought to the knowledge of recent Parent-Teacher Association Meeting, where finally decided to Bann the use of private transport for students with effect from 1st April 2026.

The decision has been made keeping in view the safety, discipline, and better coordination of student transportation. The PTA has collectively resolved that students should avail only the school-authorized transport facilities or be escorted personally by their parents/guardians.

Therefore, you are kindly requested to make the necessary arrangements accordingly. We seek your cooperation and understanding in implementing this decision smoothly in the best interest of all students.

You are requested to fill in the requisite form whatever it is out of the above three options and submit to school before 23rd March 2026.

Thanking you

प्रिय अभिभावकों,

सेफ स्कूल वाहन नीति (SAFE SCHOOL VAHAN POLICY) के अनुपालन में, अभिभावकों को केवल स्कूल परिवहन या अभिभावकों द्वारा स्वयं लाने-ले जाने (Self-Transport by Parents) का ही विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को ऑटो, रिक्शा, मिनीवैन आदि अन्य किसी निजी/असुरक्षित परिवहन साधन से आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि विद्यार्थी इन असुरक्षित साधनों से विद्यालय आते पाए गए, तो उन्हें विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। (संबंधित प्राधिकरणों के कड़े निर्देशानुसार)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के निजी परिवहन को विद्यार्थियों के आवागमन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। अभिभावकों को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा—

1. स्कूल परिवहन सुविधा का उपयोग करें (निर्धारित प्रपत्र भरना अनिवार्य है)। (Annexure-1)
2. अभिभावक स्वयं अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ें एवं ले जाएँ (घोषणा-पत्र पढ़कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है)। (Annexure-2)
3. पैदल / साइकिल से अकेले आना-जाना (केवल विद्यालय से 1 कि.मी. की परिधि में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए) (घोषणा-पत्र पढ़कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है)। (Annexure-2)

दिनांक 19-03-2024 के परिपत्र संख्या LFCS/2023-24/78 के संदर्भ में, जिसमें अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किराए पर ली गई कैब/वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया गया था, आज तक विद्यालय को कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। यह विषय हाल ही में आयोजित अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) की बैठक में रखा गया, जहाँ 1 अप्रैल 2026 से विद्यार्थियों के लिए निजी परिवहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अंतिम निर्णय लिया गया।

यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन तथा परिवहन व्यवस्था के बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। PTA ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया है कि विद्यार्थी केवल विद्यालय द्वारा अधिकृत परिवहन सुविधा का उपयोग करें या अपने अभिभावकों/अभिभावक प्रतिनिधि के साथ ही विद्यालय आएँ-जाएँ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपर्युक्त तीनों विकल्पों में से किसी एक का चयन कर आवश्यक प्रपत्र भरकर दिनांक 23 मार्च 2026 तक विद्यालय में जमा करा दें।

सभी विद्यार्थियों के हित में इस निर्णय को सुचारु रूप से लागू करने हेतु आपके सहयोग और समझ की अपेक्षा है।

धन्यवाद

Principal

Principal

Manager
Little Flower Convent School
Mangwal, Sangrur-148001 (Pb.)